न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 21/2020 आवन्टन निरस्तीकरण

1. बाबुलाल पुत्र रूपा खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
2. लेहरू लाल पुत्र रूपा खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
3. कमली पुत्री रूपा खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
4. सोहनी पत्नी रूपा खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
5. शंकर लाल पुत्र गोकल खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
6. मुकेश पुत्र गोकल खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
7. नानू पुत्री गोकल खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
8. कमला देवी पुत्री गोकल खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
9. गीता पुत्री गोकल खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
10. मन्जू पुत्री गोकल खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
11. श्रीमती छग्गु पत्नी स्व. गोकल खटीक, निवासी कुण्डिया कला तहसील बनेड़ा
12. बालु पुत्र कल्याण खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा
13. सत्यनारायण पुत्र बालु खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा

—प्रार्थी

बनाम

1. प्यार चंद पुत्र भैरू लाल खटीक, निवासी कुण्डिया कला तहसील बनेड़ा
2. कैलाश पुत्र भैरू लाल खटीक, उम्र वयस्क, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. कमला पत्नी स्व. भैरू लाल खटीक, निवासी कुण्डिया कला तहसील बनेड़ा
4. कन्या पुत्री भैरू लाल खटीक, निवासी कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. श्री नानूलाल तेली, राकेश सुराणा अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम कुण्डिया कलां तहसील बनेड़ा में स्थित है। प्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की आराजी संख्या 1000 रकबा 0.13 है0 एवं प्रार्थीगण संख्या 05 से 11 की आराजी संख्या 1001 रकबा 0. 13 है0 तथा प्रार्थीगण संख्या 12, 13 की आराजी संख्या 994 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 995 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा आराजी संख्या 996 रकबा 02 बिस्वा स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज हो काश्त एवं उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षीगण

भूमि या पेटा काश्त भूमि का कत्तई आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसलिए विपक्षीगण के पिता के नाम जारी आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर आराजी संख्या 1002 को बिलानाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने भी अपने न्याय निर्णयो द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नदी, नाला, तालाब, नाडी के पेटो की भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है। इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने मौका देखकर मौके के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि. ने रिकॉर्ड के अनुसार ही रिपोर्ट बनाकर पेश की है, जबकि भूमि पेटा काश्त भूमि है तथा आवंटन के पश्चात् आवंटी ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की और भूमि पर काश्त नहीं की तथा आज दिन तक भी आवंटी एवं विपक्षीगण का कब्जा नहीं रहा है। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को बिलानाम किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।विपक्षी के पिता भैरू लाल गलत तौर से आवंटन कराया है, जो आवंटन ही अवैध एवं विधि विरूद्ध है। आवंटन में आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है तथा आवंटन के पश्चात् भी आवंटी ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की और कब्जा नहीं किया। इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण ने आराजी संख्या 1002 पत्थरगढ़ी का आवेदन पेश किया, जिसके नोटिस भी प्रार्थीगण को प्रोपर तामिल नहीं कराये और पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना में मौक पर नपवाने एवं कब्जा करने हेतु आये, जिस पर प्रार्थीगण ने मना किया कि उक्त भूमि नाडी भूमि है एवं इस पर इनका कब्जा नहीं है। हमारे खेतो में आने–जाने का रास्ता है। इसलिए कब्जे के अभाव में पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती है। पत्थरगढ़ी करने आने दिनांक 10.12.2019 को विवाद होने से एवं बाद में प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले आदि प्राप्त की, जिससे जानकारी हुई इसलिए प्रार्थीगण को जानकारी होने से एवं उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं होने से एवं आवंटी का कब्जा नहीं होने से आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थनापत्र पेश करने की नौहियत उत्पन्न हुई है। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कुण्डिया कलां की आराजी संख्या 1002 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि विपक्षीगण के पिता भैरू लाल खटीक को किया गया आवंटन अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षीगण की आराजी के पास एवं प्रार्थीगण की

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आराजी संख्या 1002 स्थित है, जो आराजी संख्या 1002 विपक्षीगण के पिता भैरू लाल पुत्र हजारी खटीक को आवंटन हुई, जिससे विरासत से विपक्षीगण के नाम दर्ज हुई। ग्राम कुण्डिया कलां के आराजी संख्या 1002 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा में गैर मुमकीन उसर भूमि होकर बिलानाम कृषि अयोग्य भूमि थी, जिसका इन्द्राज जमाबंदी साम्वत् 2037 से 2040 में दर्ज है। उक्त आराजी गैर काबिल काश्त भूमि होने से आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। आवंटन सलाहकार समिति के कही हस्ताक्षर नहीं है, केवल परगना अधिकारी के हस्ताक्षर है। इसलिए आवंटन सलाहकार समिति के अनुमोदना के बिना आवंटन किये गये है, जो आवंटन विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी संख्या 1002 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1000 एवं 1001 पर आने जाने हेतु रास्ता है एवं भूमि नाडी भूमि है। बरसात होने पर पानी भरता है, जो भूमि कत्तई आवंटन योग्य नहीं है। प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने हेतु एकमात्र कदिमी रास्ता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने भी अपने न्याय निर्णयो द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नदी, नाला, तालाब, नाडी के पेटो की भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है। इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कुण्डिया कलां की आराजी संख्या 1002 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि विपक्षीगण के पिता भैरू लाल खटीक को किया गया आवंटन अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दस्तावेजों की सूची मय विधिक दृष्टान्त आर आर टी 2021(1) पेज 212 रेवेन्यु बोर्ड अजमेर पेश किये।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी नम्बर 988 मे मौके पर कोई नाडी बनी हुई नहीं है। ग्राम कुण्डियां कला की कृषि आराजी नम्बर 1002 रकबा 02 बीघा 11 ग्यारह बिस्वा भुमि बीलानाम सरकार राजस्व रेकॉर्ड में अंकित होने से उक्त भुमि आवंटन के लिए उपलब्ध थी। जिससे विपक्षीगण के पिता भेरूलाल पिता हजारी खटीक के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन की गई, जो कि भेरूलाल पिता हजारी खटीक की मृत्यु के बाद विरासत के जरिए उक्त भुमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हुई हैं तथा उक्त भुमि उसर भुमि नहीं होकर बंजड थी, जिसे विपक्षीगण ने लागत व पुंजी लगाकर कृषि योग्य उपजाउ बनाया है। आवंटन होते ही भुमि मे उसी वर्ष फसल काश्त की, जिसमें विपक्षीगण के पिता ने खरीफ में ज्वार व तिल की फसल, रबी मे जौ की फसल काश्त की। जिसका इन्द्राज सम्वत् 2043

से 2044 की खसरा गिरदावरी मे अंकित है व सम्वत 2045 से 2048 की खसरा गिरदावरी में जौ की फसल काश्त का इन्द्राज है तथा बाद में भी नियमित काश्त होकर इस प्रकार नियमित कब्जा है। विपक्षीगण के पिता भेरू लाल पिता हजारी खटीक को भुमि का आवंटन होने के पश्चात् आवंटन नियमो की पालना पुर्ण रूप से की गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने लायक है। विपक्षीगण भेरू लाल पिता हजारी खटीक ग्राम कुण्डिया कलां की कृषि आराजी नम्बर 1002 रकबा 02 बीघा 11 ग्यारह बिस्वा भुमि को आवंटन किया जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विधिवत रिपोर्ट की जाकर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया जिसमे आवंटन विधीवत रूप से आवंटन किया गया है जो कि आवंटन सलाहकार समिति व आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया जिसे 30 वर्ष से भी अधिक अर्सा हो गया है तथा विपक्षीगण के पिता को उक्त भुमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर उक्त भुमि भेरूलाल पिता हजारी की मृत्यु के बाद विरासत से विपक्षीगण जवाबदारान के नाम पर खातेदारी मे दर्ज होकर चली आ रही है। विवादित आराजी नम्बर 1002 रकबा 02 बीघा 11 ग्यारह बिस्वा भुमि पर मौके पर उक्त भुमि के आने जाने हेतु कोई रास्ता नही हैं व मौके पर कोई नाडी नही है व पहले की उक्त भुमि में न तो नाडी थी नही रास्ता था। उक्त भुमि बीलानाम सरकार बंजड भुमि थी जो कि काश्त योग्य होने से आवंटन की गई थी। जिस पर वर्तमान मे फसल काश्त हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण के तथाकथित भुमि को रास्ता व नाडी के पेटे की गलत रूप से बताकर आवंटन निरस्त करवाना चाहते है, जबकि मौके व रेकॉर्ड के रास्ता व नाडी नहीं है। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्तीकरण सारहीन होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि आवंटन पत्रावली अनुसार विपक्षीगण के पिता /पति भैरू पुत्र हजारी खटीक को विधिवत रूप से आवंटन कमेटी द्वारा प्रश्नगत आराजी का आवंटन किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त आवंटन में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात परीक्षण से जाहिर होता हैं कि विपक्षीगण के पिता/पति को आवंटित भूमि की किस्म गे.मु. उसर थी। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2042 से 2045 अनुसार उक्त आराजी संख्या 1002 की किस्म बारानी तृतीय होकर जौ की फसल काश्त दर्शायी गयी हैं। वर्तमान जमाबंदी अनुसार भी उक्त आराजी संख्या 1002 की किस्म बारानी तृतीय ही चली आ रही है। उक्त आराजी संख्या 1002 की

किस्म वक्त आवंटन से वर्तमान जमाबंदी अनुसार राजस्व रिकार्ड में कहीं पर भी नाडी, नाला, तालाब, पेटा अंकित नहीं हैं। जिससे प्रार्थीगण का अभिकथन कि उक्त आवंटित आराजी नं. 1002 की किस्म नाडी पेटे की भूमि हैं, मिथ्या कथन स्पष्ट होता हैं।

वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–2077 अनुसार उक्त आराजी संख्या 1002 विपक्षीगणों के नाम पर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज भूमि को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस कारण एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये। न ही उक्त आवंटन मिथ्या एवं फ्रॉड की श्रेणी में आता हैं। प्रार्थीगण द्वारा भी उक्त आवंटन को मिथ्या एवं फ्रॉड की श्रेणी में घोषित किये जाने बाबत् कोई ठोस कारण एवं दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार पाया गया कि विपक्षीगण के पिता/पति को उक्त आवंटन वर्ष 1983 में किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन निरस्त कराने बाबत् प्रार्थना पत्र करीबन् 40 वर्ष बाद बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत किया गया। चूंकि आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कोई नियत समयावधि नियमों में नहीं, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अत्यधिक देरीना से पेश करने हेतु कोई उचित एवं ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये एवं न ही उक्त आवंटन को मिथ्या या फ्रॉड घोषित कराने बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिससे 40 वर्ष पुराने आवंटन को निरस्त करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं होने से निरस्त किया जाना विधिनुरूप उचित नहीं ठहरता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता हैं। विपक्षीगण को ग्राम कुण्डिया कलां तहसील बनेडा की आराजी संख्या 1002 रकबा 2.11 बीघा का आवंटन यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर